न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–शिवपुरी

निग/2930/III/15

राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री सरदार सिंह सिख निवासी– ग्राम गडौली तहसील–नरवर जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 01.9.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट /15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

शिम्भू पुत्र श्री मटरू कोरकू निवासी – निजामपुर तहसील नरवर, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

.......अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, नरवर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/ 2014–15/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

01/09/15

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम गडौली में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 170, 171, 173, 174, 185, 186 कुल किता 6 कुल रकवा 1.95 है0 का भूमि स्वामी अनावेदक है। और उसकी भूमि पर आवेदक द्वारा कब्जा किया गया है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही कर उसे कब्जा दिलाया जाये। इस आशय का आवेदन पत्र अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
2. यहकि, अनावेदक के उक्त आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण 30/2014–15/अ–70 पर पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसका विधिवत् जबाव आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं बताया कि अनावेदक की किसी भी भूमि पर उसका कोई अवैध कब्जा नहीं है। अनावेदक द्वारा एक विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 29.05.2008 को गुरूमीत कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह सिख के नाम इस आशय से सम्पादित किया गया था। कि उक्त भूमि का विक्रय कर कब्जा दे दिया गया है। इसलिये अनावेदक की इसी भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा नहीं है। इसलिये अनावेदक की और से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 250 का निरस्त किया जाये।
3. यहकि, आवेदक द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के बाद कार्यपालन दण्डाधिकारी नरवर के न्यायालय में अनावेदक की और से प्रस्तुत शिकायत का

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2930—तीन / 2015 जिला—शिवपुरी

राजेन्द्र सिंह विरूद्ध शिम्भू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05—8—2019	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 30/2014—15/अ—70 में पारित आदेश दिनांक 21—8—2015 के विरूद्ध इस प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—7—2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय कलेक्टर शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 3/ प्क्षकार दिनांक 27—09—2019 को कलेक्टर शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे 0के0 जैन) सदस्य	